A7/1

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी— श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
61 / प्रा.पत्र / 2020	21.10.2020	24.02.2021

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी। —प्रार्थी

—बनाम—

1. श्री घनश्याम प्रसाद गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग मैसर्स घनश्याम प्रसाद गिर्राज प्रसाद, जवाहर बाजार, लाखेरी, जिला बून्दी। निवासी—जवाहर बाजार, लाखेरी, जिला बून्दी।
2. मैसर्स घनश्याम प्रसाद गिर्राज प्रसाद, जवाहर बाजार, लाखेरी, जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से— श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रियाजुद्दीन असांरी उपस्थित है।

—: निर्णय :—

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये है:—

1. मैं लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 832 दिनांक 29.09.2019 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी आंवटित किया गया है और बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉ इस्तगासे के साथ संलग्न है।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.10.2019 को समय 1:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स घनश्याम प्रसाद गिर्राज प्रसाद, जवाहर बाजार, लाखेरी, जिला बून्दी स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचा। वहां पर श्री घनश्याम प्रसाद गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग निवासी जवाहर बाजार, लाखेरी, जिला बून्दी विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से आम जनता को खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A7/2

लगभग 40 पैकिट का बेचान कर रहा था। उक्त प्रतिष्ठान के मालिक एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की जानकारी चाही जिस पर श्री घनश्याम प्रसाद गर्ग द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर प्रतिष्ठान में मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी लगभग 40 पैकिट का खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। शुद्वता की जांच हेतु विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाके फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता दी और प्राप्ति रसीद ली जो संलग्न है। तत्पश्चात् मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी के 500–500 ग्राम के चार पैकिट लिया जिसके पेटे 280 रूपये नकद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। विक्रेता ने कार्यालय में आकर खरीद बिल की प्रमाणित प्रति मौके पर दी।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी के चारों पैकिटों के नमूनें लिये प्रत्येक को लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1413 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1413 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह ब्रास सील से नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की आठ प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को स्वयं के द्वारा दिनांक 25.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी दिनांक 24.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक / एफएसएसए / 2020 / 3–5 दिनांक 01.01.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज0 कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 588 / कोटा एक्ट / 2019 / 641 दिनांक 29.11.2019 के अनुसार उक्त नमूना मिसब्रांडेड (Misbranded) पाया गया।

7. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली, कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी ने पत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

क्रमांक / एफएसएसए / 2020 / स्वी. / यू–1413 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

8. उक्त केस में विक्रेता श्री घनश्याम प्रसाद गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग मैसर्स घनश्याम प्रसाद गिर्राज प्रसाद, जवाहर बाजार, लाखेरी, जिला बून्दी। निवासी–जवाहर बाजार, लाखेरी, जिला बून्दी, मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी न्यायालय में उपस्थित जिन्होने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने मिसब्राण्ड (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है जो मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी जो फर्म द्वारा पैकिंग की जाती है, उसी रूप में विक्रय करता है जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। जिसमें अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। प्रार्थी छोटा व्यापारी होने से सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड (Misbranded) घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर पौली पैकिंग ब्रांड कस्तूरी का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 15,000/– (अक्षरे–पन्द्रह हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)